उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-15/151/30-3-15-64एम/2012
लखनऊ, दिनॉक 27 जनवरी, 2015

संशोधन/शुद्धि-पत्र

रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु उक्त संस्थान के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-3/3583/30-3-14-64एम/2012, दिनॉक 01 जनवरी में त्रुटिवश वर्ष "2014" अंकित हो गया है। वस्तुतः उक्त शासनादेश दिनॉक 01-01-2015 में जारी हुआ है।

2- अतः उक्त शासनादेश में उल्लिखित "वर्ष 2014" के स्थान पर "वर्ष 2015" पढ़ा जाये। तदनुसार शासनादेश संख्या-3/3583/30-3-14-64एम/2012, दिनॉक 01 जनवरी, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

ह0
नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/151(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ), परिवहन भवन, 01 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र संख्या-आरटी-25036/09/2007-आर0एस0, दिनॉक 05-02-2014 के क्रम में।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in